**धारा 96, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आवेदन पत्र**

न्यायालय जिला न्यायाधीश .......

सिविल अपील सं...................... सन् .......

अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रतिवादी

श्रीमान्,

देय मूल रकम की वसूली के बारे में अंशतः वादी के वाद की डिक्री करने वाले विद्वान सिविल न्यायाधीश.............. के निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध वादी/अपीलार्थी की अपील और ब्याज के लिए दावे का नामंजूर किया जाना मात्र निम्नलिखित आधारों पर ब्याज के दावे को अंशतः अस्वीकृत करने के विरुद्ध दायर किया जाता है;

वाद का मूल्यांकन ............................. रुपये

अपील का मूल्यांकन ............................. रुपये

उस डिक्री के भाग का ............................. रुपये

मूल्यांकन जिसके विरुद्ध

अपील दायर की गयी।

संदाय किया गया

न्यायालय शुल्क ............................. रुपये

**अपील के आधार**

1. क्योंकि न्यायालय के पास इस बारे में कोई विवेकाधिकार नहीं है क्या वादकालीन ब्याज मंजर किया जाना चाहिए या नहीं। न्यायालय को ऐसे हित को मंजूर करने के लिए आबद्ध किया जाताहै। न्यायालय के पास ब्याज की दर के बारे में मात्र विवेकाधिकार होता है। निचली विद्वान न्यायालय ने अपीलार्थी को वादकालीन ब्याज के अनुज्ञात करने में विधितः गलती की है।
2. क्योंकि वाद को दाखिल करने के पूर्व, अपीलार्थी ब्याज की उस संविदात्मक दर को प्राप्त करने का हकदार है, जिसको विद्वान विचारण न्यायालय प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए नामंजूर कर दिया है।
3. क्योंकि डिक्री के पश्चात् भी वादी / अपीलार्थी देय ब्याज सहित मूल धनराशि की वसूली की तारीख तक ब्याज को प्राप्त करने का हकदार है।

**दावाकृत अनुतोष**

इस अपील के रूप में दावाकृत अनुतोष यह है कि अपील किसी भी ब्याज को न मंजर करने वाली निचली न्यायालय की डिक्री के भाग को अपास्त करके तथा विधि के अनुसार अपीलार्थी को ब्याज को अनुज्ञात करके मंजूर की जा सकेगी।

**दिनांकित.................. अपीलार्थी**

**जरिये अधिवक्ता**

मेरा वकालतनामा विचारण न्यायालय के अभिलेख पर है, ऐसे रूप में कोई नया वकालतनामा अपील की इस ज्ञात के साथ दाखिल किया जा रहा है।

**अपीलार्थी के लिए**

**अधिवक्ता**